प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निवेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

शेवा में

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन०ओ०सी० / 2019-20 दिनांक //ग/२०/१ विषयः- जेनिथ एकंडमी स्कूल छितौनी वाराणसी को सीठवी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुर्वत विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता संद्रल बोर्ड आफ सेकंण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काँसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा संज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करावें जायेगें।
- राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेमें संस्था उनका पालन करेगी।
- विद्यालय का रिकार्ड निर्वारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Shital Lugh

Principal
Zenith Academy School
Chhitauni Varanasi

Manager F Zenith Academy School Chhitauni Varanasi 9. उबत शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बस्ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

(अजय कुमार द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०सं०/एन०ओ०सी०/ ८००-०7

/ 2019-20 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
- 2. जिलाधिकारी वाराणसी।
- 3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
- 4. जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।
- 5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- प्रबन्धक, जेनिथ एकेडमी स्कूल छितौनी वाराणसी।

7. गार्ड फाइल हेतु।

(अजय कुमीर द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

Shital Surgh Principal Zenith Academy School Chhitauni Varanasi

Orlei Drix 17E Manager Zenith Academy School Chhitauni Varanasi